



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



शहर में नो-एंट्री नियमों का वाहन चालक करें पालन- यातायात पुलिस महोबा



आज दिनांक 22.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात श्री रमप्रवेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात उ0नि0 अरविन्द कुमार मिश्रा द्वारा महोबा शहर के अन्दर दुर्घटना को रोकने के दृष्टिगत **नो-एंट्री व्यवस्था लागू** की गयी है, जिसके तहत शहर के अन्दर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

1- हमीरपुर चुंगी से परमानन्द तिराहा होते हुए झलकारी बाई तिराहा

2- झलकारी बाई तिराहा से परमानन्द तिराहा होते हुए हमीरपुर चुंगी तक समय प्रातः 06:00 से रात्रि 09:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

जिन वाहनों को हमीरपुर चुंगी से चरखारी की ओर जाना है, वो वाहन छतरपुर रोड़ से पुलिस लाइन से पुलिस ऑफिस होते हुए चरखारी जाएंगे तथा जिन वाहनों को चरखारी से हमीरपुर चुंगी जाना है, वो वाहन पुलिस ऑफिस से पुलिस लाइन होते हुए कानपुर हाईवे पकड़कर हमीरपुर चुंगी आएंगे। शेष नियम पूर्वत लागू रहेंगे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“एण्टी रोमियो टीम” द्वारा मुख्य बाजार/शापिंग मॉल/बस स्टैण्ड जाकर बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरूक एवं वितरित किये मास्क

आज दिनांक 22.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्रभारी एण्टी रोमियो टीम निरीक्षक रचना सिंह मय टीम द्वारा नगर के मुख्य बाजार, शापिंग मॉल एवं बस-स्टैण्ड आदि जगहो पर जाकर बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारो की जानकारी देते हुए आत्म-निर्भर, स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए टीम द्वारा शापिंग मॉल में बिना मास्क के इन्ट्री पर रोक लगाई गई एवं आने वाले ग्राहको के हाथ सैनिटाइज कराने आदि कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही मुख्य बाजार/बस-स्टैण्ड पर लोगो को कोविड-19 के प्रति किया जागरूक किया गया। उन्हे घरों से बाहर निकलते समय **मास्क लगाने एवं हाथों को सैनिटाइजर व साबुन से धोने को कहा गया। साथ ही 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।** इस दौरान कई लोग बिना मास्क के दिखे, जिन्हे टीम द्वारा मास्क का वितरण किया गया एवं भविष्य में मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कोतवाली महोबा द्वारा 02 अभियुक्तों को नकली बीडी व माल सहित किया गिरफ्तार



आज दिनांक 22.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शातिर/जालसाज अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना प्रभारी व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मय हमराहियान के पंकज खटिक के मकान से बहद मुहल्ला गांधीनगर थाना कोतवाली महोबा से 02 नफर अभियुक्त **1.** आशुतोष सेन पुत्र मुन्ना लाल सेन निवासी कोटरा

थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी **2.** कमलेश कुशवाहा पुत्र संतोष कुशवाहा निवासी पृथ्वीपुर थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी को नकली श्याम बीडी बनाने के कच्चे माल के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 207/21 धारा 419/420/467/468 भादवि** पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बरामद माल का विवरण:- भारी मात्रा में नकली श्याम बीडी बनाने का कच्चा माल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. आशुतोष सेन पुत्र मुन्ना लाल सेन उम्र करीब 32 वर्ष निवासी कोटरा थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी।
2. कमलेश कुशवाहा पुत्र संतोष कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी पृथ्वीपुर थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
3. का0 प्रमोद यादव



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 22.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



नाइट कर्फ्यू का शत-प्रतिशत जनता पालन करे- एएसपी

आज दिनांक 22.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम द्वारा मय चरखारी पुलिस बल के साथ कस्बा गस्त के दौरान दुकानदारों/आम जनता से **नाइट कर्फ्यू (रात्रि 08.00 बजे से सुबह 07.00 बजे तक)** का शत प्रतिशत पालन करने की अपील की गई, ताकि कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। साथ ही पुलिस बल को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

सीओ चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय थाना श्रीनगर पुलिस बल के साथ कस्बे में पैदल गस्त करके आम जनता व दुकानदारों को **नाइट कर्फ्यू** का पालन करवाया गया एवं लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया गया। जनपद के थानों द्वारा पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए **“02 गज की दूरी मास्क है जरूरी”** का संदेश दिया गया एवं बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। समय-समय पर अपने हाथों को साबुन/सैनिटाइजर से धोने की अपील की गई। नियमों उल्लंघन करने पर **23 ई-चालान, 01 वाहन सीज, 34 व्यक्तियों से 5500/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।**

